न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 06/2017 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये अमरेन्द्र कुमार मिश्र प्रवर्तन अधिकारी भीलवाडा / शाहपुरा –प्रार्थी	बनाम	1. श्री फारूख मोहम्मद पुत्र शफी मोहम्मद निवासी शाहपुरा–बेगूं रोड़ शाहपुरा जिला भीलवाडा –विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक 20.11.2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत की जांच के कम में दिनांक 15.08.2017 को सांय 4.35 बजे शाहपुरा बेगूं रोड पर फारूख मोहम्मद पुत्र शफी मोहम्मद की बिना नाम की दुकान पर पहुंचा तो दुकान खुली पायी गयी एवं मौके पर फारूख मोहम्मद नहीं मिला । दुकान में गैस रिफलिंग मशीन पड़ी मिली । दुकान के बाहर अंकित मोबाईल नम्बर 9783241890 पर कॉल करके उसे बुलाया गया किन्तु पर्चा लिखने वक्त तक वह दुकान पर नहीं पहुंचा । इसी दौरान उसकी पत्नी सोनू परबीन आ पंहुची । जिसने उसके पति द्वारा गैस रिफलिंग की बात स्वीकारी । अतः आरोपी की पत्नी की स्वीकारोक्ति एवं गैस रिफलिंग मशीन की मौजूदगी से फारूख मोहम्मद द्वारा गैस रिफलिंग का अवैध कारोबार किया जाना सिद्ध होने पर सोनू परबीन के कब्जे से फारूख मोहम्मद की मशीन जब्त की गई। इस प्रकार आरोपी द्वारा एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं । गैस रिफलिंग मशीन को जब्त सरकार किया जाकर शाहपुरा स्थित शाहपुरा गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स आकर गैस एजेन्सी के मालिक श्री रामेश्वर लाल खटीक को संभलाया गया । जिस वक्त मशीन को सुपुर्द किया जा रहा था, आरोपी गैस एजेन्सी पर आ पहूंचा और उसने पर्चा मौका (फर्द जब्ती व सुपुर्दगी) पर हस्ताक्षर किये एवं गैस रिफलिंग का जुर्म स्वीकार किया । आरोपी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से वाहनों में घरेलू गैस की रिफलिंग का कार्य किया जाकर एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया हैं । अतः कार्यवाही संबंधी पत्रादि प्रस्तुत करते हुए निवेदन हैं कि जब्तशुदा गैस रिफलिंग मशीन को राजसात किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29.08.2017 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी की

ओर से दिनांक 20.11.2017 को जवाब प्रस्तुत किया गया ।

विपक्षी फारूख मोहम्मद ने अपने जवाब में बताया कि प्रवर्तन अधिकारी शाहपुरा द्वारा दिनांक 15.08.2017 को शाहपुरा – बेगूं रोड़ पर रिफलिंग मशीन जब्त की गई। इस बाबत् निवेदन हैं कि विपक्षी द्वारा कोई गैस टंकी से रिफलिंग का कार्य नहीं किया जाता हैं । मौके पर गैस टंकी आदि नहीं थी । विपक्षी के विरूद्व आपसी द्वैषता के कारण विपक्षी के विरूद्व झूठी शिकायत कर उक्त मामला दर्ज करवाया गया हैं, जबकि विपक्षी का उक्त मामलें से कोई लेना देना नहीं हैं , न ही विपक्षी मौके पर उपस्थित था । उक्त उनवान प्रकरण में रिफलिंग मशीन राजसात कर ली जावे तो विपक्षी को कोई आपत्ति नहीं हैं तथा विपक्षी के द्वारा आज दिनांक तक कोई रिफलिंग कार्य नहीं किया गया हैं , न ही भविष्य में करेगा । विपक्षी के विरूद्व चल रहे प्रकरण को निरस्त फरमाया जावे ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी । दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत की जांच के कम में दिनांक 15.08.2017 को सांय 4.35 बजे शाहपुरा बेगूं रोड पर फारूख मोहम्मद पुत्र शफी मोहम्मद की बिना नाम की दुकान पर पहुंचा तो दुकान खुली पायी गयी एवं मौके पर फारूख मोहम्मद नहीं मिला । दुकान में गैस रिफलिंग मशीन पड़ी मिली । दुकान के बाहर अंकित मोबाईल नम्बर 9783241890 पर कॉल करके उसे बुलाया गया किन्तु पर्चा लिखने वक्त तक वह दुकान पर नहीं पहुंचा । इसी दौरान उसकी पत्नी सोनू परबीन आ पंहुची । जिसने उसके पति द्वारा गैस रिफलिंग की बात स्वीकारी । अतः आरोपी की पत्नी की स्वीकारोक्ति एवं गैस रिफलिंग मशीन की मौजूदगी से फारूख मोहम्मद द्वारा गैस रिफलिंग का अवैध कारोबार किया जाना सिद्व होने पर सोनू परबीन के कब्जे से फारूख मोहम्मद की मशीन जब्त की गई। इस प्रकार आरोपी द्वारा एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं । गैस रिफलिंग मशीन को जब्त सरकार किया जाकर शाहपुरा स्थित शाहपुरा गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स आकर गैस एजेन्सी के मालिक श्री रामेश्वर लाल खटीक को संभलाया गया । जिस वक्त मशीन को सुपुर्द किया जा रहा था, आरोपी गैस एजेन्सी पर आ पहूंचा और उसने पर्चा मौका (फर्द जब्ती व सुपुर्दगी) पर हस्ताक्षर किये एवं गैस रिफलिंग का जुर्म स्वीकार किया । आरोपी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से वाहनों में घरेलू गैस की रिफलिंग का कार्य किया जाकर एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया हैं । निवेदन हैं कि जब्तशुदा गैस रिफलिंग मशीन को राजसात किये जाने का आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तवेजात एवं विपक्षी द्वारा स्वयं पर्चा मौका (फर्द जब्ती व सुपुर्दगी) पर हस्ताक्षर किये एवं गैस रिफलिंग का जुर्म स्वीकार किया । साथ ही विपक्षी ने जवाब में अंकन किया कि उक्त उनवान प्रकरण में रिफलिंग मशीन राजसात कर ली जावे तो विपक्षी को कोई आपत्ति नहीं हैं । इस प्रकार विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से वाहनों में घरेलू गैस की रिफलिंग का कार्य किया जाकर एल.पी.जी.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त सरकार किया गया गैस रिफलिंग मशीन को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्त सरकार किया गया गैस रिफलिंग मशीन को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं । निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे । जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त गैस रिफलिंग मशीन का अन्तिम निस्तारण कर राशि जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

20/11/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)